भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2885

सोमवार, 20 मार्च, 2017/ 29 फाल्गुन, 1938 (शक)

विनिमय व्यापार कोष में ई.पी.एफ.ओ. निवेश

2885. श्री एम. उदयकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेवानिवृत्ति कोष निकाय ई.पी.एफ.ओ. के विनिमय व्यापार कोष में निवेश को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यास बोर्ड में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या चर्चा हुई और इस संबंध में ईपीएफओ द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) नहीं, फिलहाल नहीं।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 502

सोमवार, 6 फरवरी, 2017/ 17 माघ, 1938 (शक)

निष्क्रिय ईपीएफ खाते

502. श्री बहादुर सिंह कोली:
श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी ईपीएफ खाते को निष्क्रिय घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार निष्क्रिय ईपीएफ खातों की कुल संख्या कितनी है तथा इन खातों में जमा कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या इन खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) योग्य व्यक्तियों को देय राशि प्रदान किए जाने हेतु क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ङ) क्या कर्मचारी द्वारा देश के किसी भी भाग में ईपीएफ खातों से राशि निकाले जाने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) में निष्क्रिय खातों के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। कोई खाता निम्नलिखित मामलों में निष्क्रिय हो जाता है:

(i) यदि कोई राशि जो अवकाश मजदूरी/वेतन के बकाए के संबंध में नियोक्ता से अनुपूरक अंशदान के परिणामस्वरूप किसी सदस्य को देय हो और किसी सदस्य से संबंधित प्राप्त बकाया अंशदान की किस्त जिसके दावे का निपटान हो गया हो परन्तु मौजूदा पता न होने के कारण जिसे संवितरित न किया जा सका हो।

(ii) यदि कोई सदस्य जो 55 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात या तो सेवानिवृत्त हो गया हो गया हो या विदेश में स्थायी रूप से प्रवास कर गया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो परन्तु पैरा 69 अथवा 70 के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, संचित राशि की निकासी के लिए उसके द्वारा राशि के देय होने की तारीख से 36 माह की अवधि के भीतर कोई आवेदन न किया गया हो।

(iii) यदि कोई राशि किसी व्यकित को भेजी जाती है और वह वापिस आ जाती है तथा उसके लिए भुगतेय तिथि से 36 माह की अवधि के भीतर दुबारा दावा नहीं किया जाता है।

उपुर्यक्त सभी मामलों में राशि का एक ऐसे खाते में अंतरण किया जाएगा जिसे निष्क्रिय खाता कहा जाना है।

(ख) 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, 9,29,89,648 खातों में कुल 40,865.14 करोड़ रुपये की राशि को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (6) के अनुसार, खाते के निष्क्रिय होने की तिथि से पैरा 72 के उप-पैरा (6) के उपबंधों के अंतर्गत सदस्य के खाते में ब्याज की राशि जमा नहीं की जाएगी।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पात्र व्यक्तियों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:-

(i) 'निष्क्रिय खाता ऑन लाइन हेल्प डेस्क' नामक एक पोर्टल आरम्भ किया गया है जो सदस्यों को उनके निष्क्रिय खातों की पहचान करने में सहायता करेगा।
(ii) सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या का आबंटन किया गया है ताकि नियोक्ताओं के बिना हस्तक्षेप के सदस्यों की पहचान हो सके।
(iii) इलैक्ट्रानिक के साथ-साथ प्रिंट मीडिया द्वारा समय-समय पर सदस्यों को भविष्य निधि में उनकी संचित राशि का अंतरण करने अथवा निकासी हेतु शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता सृजन कार्यक्रम चलाया गया है।
(ङ) निकासी के लिए सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह ईपीएफओ के उस कार्यालय में अपना दावा फार्म जमा करे जहां उसके खातों का रख-रखाव किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 503

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र, 1939 (शक)

श्रम और उद्योग पर वैश्विक मन्दी का प्रभाव

503. श्री हरिनरायन राजभर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू श्रम और उद्योग पर पड़ने वाले वैश्विक वित्तीय मन्दी के प्रभाव के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में विभिन्न उद्योगों के बन्द हो जाने के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने श्रमिकों ने अपना रोजगार खो दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रभावित हुए श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या भूमिका निभाई गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

******

श्रम और उद्योग पर वैश्विक मन्दी के प्रभाव से संबंधित श्री हरिनरायन राजभर द्वारा दिनांक 10.04.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न 503 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वायत संस्थान, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुरोध के आधार पर 2009-2010 के दौरान वैश्विक मंदी और भारत में निर्यात क्षेत्र: उत्पादन, निर्यात और रोजगार पर प्रभाव से संबंधित एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तीन निर्यात सघन विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात वस्त्र, हीरे और हस्तशिल्प में निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करना था। इस अध्ययन में भारत सरकार द्वारा मंदी को रोकने और बहाली सुनिश्चित करने हेतु शुरु किए गए प्रोत्साहन पैकेजों की कारगरता और कार्यकुशलता का भी मूल्यांकन किया गया।

अध्ययन से यह पता चला कि लगभग डेढ़ वर्ष की आर्थिक मंदी के उपरांत, भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली मई-जून, 2009 से स्पष्ट थी। इस अध्ययन का ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष **अनुबंध-I** में हैं।

(ग): ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ): औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, बंद होने की स्थिति में, प्रभावित प्रत्येक कामगार धारा 25 - ण (8) के तहत लगातार सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के संबंध में 15 दिवस के औसत वेतन के बराबर मुआवजे का हकदार है। इसके अतिरिक्त, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत कामगार को बेरोजगारी भत्ता अदा किया जाता है और कौशल विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अनुबंध-I

"श्रम और उद्योग पर वैश्विक मन्दी का प्रभाव" से संबंधित दिनांक 10.04.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न 503 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>मुख्य निष्कर्ष</u>

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तीन निर्यात सघन विशिष्ट क्षेत्र अर्थात वस्त्र, हीरे और हस्तशिल्प में निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर आर्थिक मंदी (2007-2009) के प्रभाव का आकलन करना था। इस अध्ययन में भारत सरकार द्वारा मंदी को रोकने और बहाली सुनिश्चित करने हेतु शुरु किए गए प्रोत्साहन पैकेजों की कारगरता और कार्यकुशलता का भी मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में तीन संदर्भित क्षेत्रों में आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में नीति गत उपाय और उत्पादन, निर्यात और रोजगार को बढ़ाने के लिए कार्य योजना सुझाई गई। यह अध्ययन बृहत और सूक्ष्म स्तर की सूचना पर आधारित था और इसमें निर्यात के संबद्ध में रोजगार गुणांक तैयार किया गया है।

अध्ययन में यह नोट किया गया कि 2007-2009 के दौरान वैश्विक मंदी का वस्त्र , हीरे और हस्तशिल्प उद्योगों में निर्यात वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके परिणामस्वरुप इन श्रम सघन क्षेत्रों के रोजगार सामर्थ्य में कमी आई। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जहां तक रोजगार के प्रभाव का संबंध है औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के लिहाज से इसमें अंतर था। जब कि संकट की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र के उद्यमों में रोजगार स्तर कमोबेश यथावत रहे, रोजगार में गिरावट प्राथमिक रुप से अनौपचारिक क्षेत्र अथवा लघु उद्यमों में आई।

विस्तृत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर, अध्ययन में यह सिफारिश की गई कि निर्यात उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु आरंभ किए गए ब्याज अर्थसहायता, उत्पादन शुल्क में कमी आदि जैसे प्रोत्साहन पैकेज निर्यात आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने हेतु कम से कम दो वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखे जाने होंगे।

अध्ययन में दो स्तरों पर: मध्यम से दीर्धकालिक प्रकृति के आमूलचूल संरचनात्मक मुद्दों ; और प्राथमिक रुप से वर्तमान अध्ययन से उदभूत तत्काल सरोकार के क्षेत्र - विशिष्ट मुद्दों से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

आमूलचूल मुद्दों में: निर्यात के विविधिकरण; कामगारों का सतत कौशल विकास; शुल्क आस्थगन और प्रोत्साहन दावा प्रक्रिया का सरलीकरण; अवसंरचना निवेश; और अनौपचारिक रोजगार को औपचारिक बनाने के उपाय शामिल हैं।

अनुबंध II

"श्रम और उद्योग पर वैश्विक मन्दी का प्रभाव" से संबंधित दिनांक 10.04.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न 503 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्योगों का राज्य एवं उद्योग वार बंद होना और उससे प्रभावित कामगार

केन्द्रीय क्षेत्र

वर्ष	उद्योगों की संख्या	प्रभावित कामगार
2014-15	शून्य	शून्य
2015-16		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्योगों की संख्या	प्रभावित कामगार
छत्तीसगढ़	1	153
2016-17		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्योगों की संख्या	प्रभावित कामगार
पश्चिम बंगाल	3	61
जम्मू और कश्मीर	1	30
हरियाणा	1	823
पंजाब	1	
आंध्र प्रदेश	2	
कर्नाटक	1	72
केरल	1	44
मध्य प्रदेश	1	862
छत्तीसगढ़	1	11
उत्तराखंड	1	165
कुल	13	2068

राज्य क्षेत्र

वर्ष 2014		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्योगों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3	326
चंडीगढ़	1	8
हरियाणा	2	59
हिमाचल प्रदेश	2	70
कर्नाटक	5	552
तेलंगाना	2	2745
त्रिपुरा	16	396
उत्तराखंड	2	123
कुल	33	4279

वर्ष 2015 (अनंतिम)		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**उद्योगों की संख्या**	**प्रभावित कामगारों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	**1**	**260**
छत्तीसगढ़		
गोवा	**2**	**44**
हिमाचल प्रदेश	**1**	**90**
कर्नाटक	**1**	**96**
त्रिपुरा	**9**	**687**
कुल	**14**	**1177**

वर्ष 2016 (अनंतिम)		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**उद्योगों की संख्या**	**प्रभावित कामगारों की संख्या**
त्रिपुरा	**14**	**566**

नोट:1.राज्य क्षेत्र के संबंध में विवरण संबंधित राज्य सरकार से श्रम ब्यूरो में प्राप्त विवरणियों/सूचना पर आधारित है। केन्द्रीय क्षेत्र के संबंध में सूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

2. उत्तर प्रदेश के संबंध में श्रम ब्यूरो में कोई सूचना नहीं दी गई है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 508

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/ 20 चैत्र, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की समीक्षा

***508. श्री के. एन. रामचन्द्रन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना की समीक्षा की है/करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

श्री के. एन. रामचन्द्रन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना की समीक्षा के संबंध में दिनांक 10.04.2017 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 508 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो कामगारों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत बदलते समाजार्थिक परिदृश्य पर आधारित है। योजना की समीक्षा के आधार पर विगत हाल में योजना में कई संशोधन किए गए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 30 और पैरा 38 के उप-पैरा (1) के निहितार्थ नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्कों की कटौती वेतन के 0.85 प्रतिशत से लेकर 0.65 प्रतिशत तक की जाती है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के अधिसूचित बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक विधि से सांविधिक बकायों का संग्रह करने की अनुमति दी गई है।

(iii) दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए एक कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया गया था जिसे 30 जून, 2017 तक बढ़ाया गया है। इस अभियान के दौरान प्रतिष्ठानों को अनेक प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे कामगारों का नामांकन कर सकें।

(iv) सरकार ने 11 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1065 (अ) के माध्यम से योजना के पैरा 72(6) में संशोधन किया है जिसमें खातों का निष्क्रिय खातों के रूप में बदले जाने की शर्तों में बदलाव किया गया है।

(v) सरकार ने 2 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1035 (अ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन किया है जिसमें यह उपबंध है कि कोई कामगार जो नेपाली नागरिक है उसे वर्ष 1950 के शांति एवं मैत्री समझौते के आधार पर तथा कोई कामगार जो भूटानी नागरिक है उसे भारत- भूटान के मैत्री समझौता, 2007 के आधार पर भारतीय कामगार माना जाएगा।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की समीक्षा/संशोधन के लिए विभिन्न क्षेत्रीय पणधारकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना में संशोधन कते समय इस प्रकार से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 651

सोमवार, 6 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 (शक)

श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाना

651. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री राहुल शेवाले:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:
श्रीमती रक्षाताई खाडसे:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 04 संहिताओं में मिलाने, तर्कसंगत बनाने और सरल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है/शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या नई श्रम नीति में देश में संगठित/असंगठित श्रमिकों की बेहतर सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा सुनिश्चित करते हुए श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) श्रम कानूनों के बेहतर एवं प्रभावी कार्यान्वयन और इस संबंध में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के अनुसार विभिन्न कानूनों की अनुपालना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): श्रम विधानों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है ताकि विधायी तंत्र को समय की मांग के अनुरुप अद्यतन किया जा सके और उन्हें उभरते आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य के आलोक में और अधिक प्रभावी एवं समीचीन बनाया जा सके। द्वितीय राष्ट्रीय आयोग जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ने सिफारिश की थी कि मौजूदा श्रम विधानों को कार्यात्मक आधार पर व्यापक रूप से चार अथवा पांच श्रम संहिताओं में समूहबद्ध किया जाना चाहिए। तदनुसार, मंत्रालय ने विद्यमान केन्द्रीय श्रम विधानों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, एकीकृत तथा तर्कसंगत बनाते हुए क्रमश: मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण; और सुरक्षा एवं कामकाजी दशाओं से संबंधित चार श्रम संहिताओं के प्रारुपण के लिए कदम उठाए हैं। इन पहलों से श्रम कानूनों की अधिकता के कारण अनुपालन की जटिलता में कमी आयेगी तथा उद्यम स्थापित करने में सुविधा होगी और इस प्रकार सुरक्षा, संरक्षा तथा कामगारों के स्वास्थ्य के मूलभूत पहलुओं को प्रभावित किए बिना देश में व्यवसाय एवं उद्योग के विकास का वातावरण बनेगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

(ग): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अभिसमय अनुसमर्थन करने पर अनुसमर्थन करने वाले देश के लिए वैधानिक रूप से बाध्यकारी उत्तरदायित्वों का निर्माण करते हैं। किसी अभिसमय का अनुसमर्थन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। भारत किसी अभिसमय का अनुसमर्थन केवल तभी करता है जब हमारे राष्ट्रीय कानून और पद्धतियां संगत अभिसमय के पूर्ण रूप से अनुरूप हों। अभी तक भारत ने 45 अभिसमयों एवं 1 नवाचार का अनुसमर्थन किया है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2827

सोमवार, 20 मार्च, 2017/29 फाल्गुन,1938 (शक)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तदर्थ कर्मचारी

2827. श्री हरिनरायन राजभर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितने कर्मचारियों ने तदर्थ आधार पर बीस वर्षों से अधिक की सेवाविध पूरी की है;

(ख) इन कर्मचारियों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इतने लंबे समय तक कार्य करने वाले श्रमिकों ने पेंशन संबंधी कोई मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) : केन्द्रीय स्तर पर ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत तदर्थ कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र हैं। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत उनके हितों का संरक्षण किया गया है तथा समय-समय पर निदेश/अनुदेश जारी करके उनका कठोर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

(ग): इस मंत्रालय में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2901

सोमवार, 20 मार्च, 2017/ 29 फाल्गुन, 1938 (शक)

ईपीएफ हेतु कुल धनराशि

2901. श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मचारियों को ईपीएफ की परिधि में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार ज़ोन-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने ईपीएफ खाते हैं और इन खातों में कितनी धनराशि जमा है;

(ग) कितने ईपीएफ खातों को अद्यतन नहीं किया गया है और ईपीएफओ के संचित वार्षिक खातों के अनुसार इंटरेस्ट सस्पेंस खाते में 31 मार्च, 2016 तक कितना अवितरित ब्याज और अंतिम शेष राशि पड़ी हुई है; और

(घ) ईपीएफ अंशदाताओं के ईपीएफ दावों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जो या तो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो या ऐसा प्रतिष्ठान हो जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया हो।

कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 और अधिक कामगारों को ईपीएफओ के दायरे में लाने के लिए 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत, एक नियोजक जो चाहे पहले से व्याप्त हो या अभी व्याप्त किया जाना हो, अभियान की अवधि के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारणवश गैर-नामांकित रहे कर्मचारियों की घोषणा करके इन कर्मचारियों को नामांकित करा सकता है। यह घोषणा केवल उन कर्मचारियों के संबंध में ही वैध होगी जो 1 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार जीवित हों तथा इन कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके प्रतिष्ठान या नियोजक, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य

निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के पैरा 26ख या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 8 के अंतर्गत कोई कार्यवाही न की गई हो।

(ख): 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुल 17.14 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि खाते थे। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ खातों और उनमें संचित राशियों के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग): 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, कुल 12.21 लाख खाते अद्यतन किए जाने के लिए लंबित थे।

'ब्याज उचंत खाते' के रूप में कोई खाता ज्ञात नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 51 में 'ब्याज खाते' का प्रावधान है जिसमें निधि से अर्जित आय जमा की जाती है और जिसमें से सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जाता है। ईपीएफओ के समेकित वार्षिक खातों के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक अभिदाताओं के खातों में जमा कराने के लिए 31.03.2016 तक 9,737.46 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए ईपीएफओ के समेकित वार्षिक खातों के अनुसार, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ब्याज खाते में बाकी रोकड़ 45,135.25 करोड़ रुपये है।

(घ): ईपीएफओ ने दावों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अभिदाताओं द्वारा दावों की प्रस्तुति को सरल बनाने के दृष्टिगत पूर्वगत दावा फॉर्म सं. 19, 10ग और 31 को प्रतिस्थापित करके संयुक्त दावा फॉर्म (आधार) और संयुक्त दावा फॉर्म (गैर-आधार) आरंभ किया गया है। ईपीएफ अभिदाताओं द्वारा स्व-प्रमाणन को शामिल करके संयुक्त दावा फॉर्म को और अधिक सरल बनाया गया है। संयुक्त दावा फॉर्म (आधार) उनके नियोजकों के प्रमाणन के बिना ईपीएफओ में जमा करवाया जा सकता है।
- ईपीएफओ ने दावों का निपटान 20 दिन के भीतर किए जाने का आदेश दिया है।
- दावों के निर्बाध अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल(ओटीसीपी) आरंभ किया गया है।
- देयों के भुगतान हेतु नियोजकों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान सुविधा आरंभ की गई है। इन्टरनेट बैंकिंग(आईएनबी) सुविधा कुशलता और भुगतान में संवर्धन करती है और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए विद्यमान इन्टरनेट बैंक खाते का उपयोग करते हुए किसी भी समय, कहीं भी ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित करती है।
- भुगतानों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) आरंभ किया गया है।

****

अनुबंध

ईपीएफ की कुल निधि के संबंध में श्री निशिकांत दुबे द्वारा 20.03.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2901 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ईपीएफ खाते और खातों में संचित राशि

(31-03-2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**खातों की संख्या (लाख में)**	**राशि (करोड़ रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	32.63	7,066.54
2	बिहार	10.39	1,780.66
3	छत्तीसगढ़	13.30	2,652.10
4	दिल्ली	139.72	30,647.53
5	गोवा	11.89	2,271.95
6	गुजरात (दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली सहित)	134.20	22,829.71
7	हरियाणा	123.92	18,914.45
8	हिमाचल प्रदेश	11.66	2,400.04
9	झारखंड	18.12	2,637.87
10	कर्नाटक	201.61	54,577.49
11	केरल (लक्षद्वीप सहित)	26.36	9,367.64
12	मध्य प्रदेश	38.39	9,625.90
13	महाराष्ट्र	341.28	1,02,015.69
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के राज्य	8.18	2,706.11
15	ओडिशा	26.30	5,849.50
16	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	56.36	12,826.38
17	राजस्थान	42.73	8,539.18
18	तमिल नाडू (पुडुचेरी सहित)	210.13	42,514.86
19	तेलंगाना	93.93	23,401.39
21	उत्तराखंड	22.74	3,321.92
21	उत्तर प्रदेश	72.43	16,618.05
22	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	77.87	18,589.68
	अखिल भारत कुल	**1,714.14**	**4,01,154.63**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2911

सोमवार, 20 मार्च, 2017/29 फाल्गुन, 1938 (शक)

ईपीएफओ अपीलीय न्यायाधिकरणों में रिक्त पद

2911. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न श्रम न्यायालयों में विशेषत: कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरणों में अधिष्ठाता अधिकारियों और अन्य स्टाफ के कई सारे पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और उक्त रिक्त पदों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रिक्त पदों को तेजी से भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): दिनांक 27.12.2016 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के संगठनात्मक एवं संवर्ग पुर्नगठन के अनुसार दिल्ली एवं बंगलूरू स्थित क.भ.नि.सं. अपीलीय अधिकरणों के लिए पद स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(ग): भर्ती नियमों में परिकल्पित प्रक्रियाओं अथवा उक्त पदों से संबंधित अन्य उपबंधों को अपनाकर पदों को भरा जाता है।

* ***

अनुबंध

दिनांक 20.03.2017 को क.भ.नि.सं. अपीलीय अधिकरणों में रिक्त पदों के संबंध में श्री सुमेधानंद सरस्वती द्वारा पूछे जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2911.

क.भ.नि.अ.अधि. दिल्ली

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
पीठासीन अधिकारी	1	1	शून्य
रजिस्ट्रार	1	1	शून्य
उप रजिस्ट्रार	1	1	शून्य
अनुभाग अधिकारी	2	0	2
सहायक	8	1 यूडीसी+1 सामाजिक सुरक्षा सहायक	6
पीपीएस	1	0	1
निजी सचिव	2	0	2
वैयक्तिक सहायक	2	1	1
आशुलिपिक	1	2	+1
एमटीएस	5	3+ 1 स्टाफ कार ड्राइवर	1
कुल योग	24	12	12

क.भ.नि.अ.अधि. बंगलूरू

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
पीठासीन अधिकारी	1	1	शून्य
रजिस्ट्रार	1	1	शून्य
उप रजिस्ट्रार	1	0	1
अनुभाग अधिकारी	2	1 अनुभाग पर्यवेक्षक	1
सहायक	8	2 सामाजिक सुरक्षा सहायक	6
पीपीएस	1	0	1
निजी सचिव	2	0	2
वैयक्तिक सहायक	2	0	2
आशुलिपिक	1	0	1
एमटीएस	5	0	5
कुल योग	24	5	19

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2931

सोमवार, 20 मार्च, 2017/29 फाल्गुन, 1938 (शक)

कर्मचारी नामांकन अभियान

2931. श्री राजेश कुमार दिवाकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ, कर्मचारी नामांकन अभियान 2017 की शुरुआत करने की योजना बना रहा है जिसके अंतर्गत ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित कर्मचारियों को अपना ब्यौरा स्वैच्छिक रूप से घोषित करने का मौका मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के प्रचालन के लिए तथा घोषणा के तहत अंशदान के संग्रहण हेतु क्या कार्यविधि/कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है; और

(घ) उक्त योजना के प्रचालन में कब तक आने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (घ): देश में सभी पात्र कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाएं विस्तारित करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 01.01.2017 से 31.01.2017 की अवधि के दौरान कर्मचारी नामांकन अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान प्रतिष्ठानों को अपने कामगार नामांकित करने हेतु विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

पहले से ही शामिल अथवा अभी तक शामिल होने वाला कोई भी नियोक्ता 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारण से अनामांकित रह गए कर्मचारियों का नामांकन, अभियान अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारियों की घोषणा करके कर सकता है। ऐसी घोषणा केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में वैध होगी जो 01. जनवरी, 2017 को जीवित हों और कर्मचारी भवष्यि निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध

अधिनियम, 1952 की धारा 7क अथवा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैराग्राफ 26ख अथवा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 8 के अंतर्गत उनके प्रतिष्ठान अथवा नियोक्ता, जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध ऐसे कर्मचारियों की सदस्यता की पात्रता निर्धारित करने हेतु कोई कार्रवाई शुरु न की गई हो। इस अभियान के अंतर्गत की गई घोषणा के संबंध में, नियोक्ता - नियोक्ता का अंशदान, अधिनियम की धारा 7ण के अंतर्गत ब्याज और क्षति प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रोत्साहनस्वरुप, अभियान के अंतर्गत की गई घोषणाओं पर निम्नलिखित बातें लागू होंगी:-

(i) यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा जमा नहीं करवाया गया घोषित किया गया हो, तो वह अदा किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(ii) इस अभियान के अंतर्गत जिन कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई हो, उनके संबंध में नियोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली क्षति प्रति वर्ष 1 (एक) रुपये की दर पर होगी।

(iii) इस घोषणा के अंतर्गत किए गए अंशदान के संबंध में नियोक्ता से कोई प्रशासनिक प्रभार एकत्र नहीं किए जाएंगे।

यदि नियोक्ता घोषणा करने के 15 दिवस के भीतर, इस अभियान के अंतर्गत की गई घोषणा के संबंध में उसके द्वारा संदेय धनराशि, ब्याज और क्षति अदा करने में असफल रहे, तो इस अभियान के अंतर्गत ऐसी कोई घोषणा की गई नहीं समझी जाएगी।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2947

सोमवार, 20 मार्च, 2017/ 29 फाल्गुन, 1938 (शक)

ई.पी.एफ. प्रशासनिक शुल्क

2947. श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई.पी.एफ.योजना के लिए मजदूरों के वेतन से ई.पी.एफ. प्रशासनिक शुल्क को 0.85 प्रतिशत से घटाकर 0.65 प्रतिशत करने के कदम को टाल दिया है/टालने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय कारणों से यह मामला काफी समय से लंबित रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): सरकार ने दिनांक 15.03.2017 की अधिसूचना के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अंतर्गत प्रशासनिक प्रभारों को 0.85 प्रतिशत से घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3918

सोमवार, 27 मार्च, 2017/ 6 चैत्र, 1939 (शक)

ई. पी. एफ. भुगतान के संग्रह के लिए निजी बैंक

3918. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं से कर्मचारी भविष्य निधि कोष के भुगतान एकत्र करने के लिए निजी बैंकों को अनुमति देने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 4 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 6 (अ.) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से सांविधिक देयों को एकत्रित करने हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिसूचित किया है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3923

सोमवार, 27 मार्च, 2017/ 6 चैत्र, 1939 (शक)

पी. एफ. निधि का विपथन

3923. श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यक्तिगत सदस्यों को भुगतान के अलावा अन्य कार्यों के लिए पीएफ निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईपीएफओ न्यासियों द्वारा प्रबल विरोध के बावजूद एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की स्थापना के लिए भविष्य निधि की राशि के विपथन की सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 53 के अनुसार निधि का खर्च, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, योजना के उपबंधों के अनुसार निधि के व्यक्तिगत सदस्यों की जमा बकाया राशि का उनके नामितों अथवा उत्तराधिकारियों अथवा वैधानिक प्रतिनिधियों को भुगतान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा।

(ख): जी नहीं।

(ग): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3931

सोमवार, 27 मार्च, 2017/ 6 चैत्र, 1939 (शक)

मृत्यु दावे

3931. श्री जी हरि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का विचार किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात भविष्य निधि धन के दावे को वर्तमान के 07 दिन से 20 दिन के भीतर निपटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मृत्यु दावों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और सभी ईपीएफ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी ऐसे सभी दावों की दैनिक आधार पर निजी रूप से निगरानी करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) स्कीम, 1952 के पैरा 72 (7) के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण रूप में प्रस्तुत दावे का निपटान किया जाएगा तथा आयुक्त द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से 20 दिन के भीतर लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के फील्ड अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे मृत्यु के मामलों में दावों का निपटान इन दावों की प्राप्ति के सात दिन के भीतर करें।

(ग) और (घ): जी हाँ। ईपीएफओ के जनसंपर्क अधिकारी और सभी सुविधा-केन्द्र में विद्यमान अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे मृत्यु के मामलों के संबंध में प्राप्त दावा फॉर्मों की संवीक्षा करें तथा एक ही बार में सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए दावेदारों का मार्गदर्शन करें। ऐसे दावों के लिए एक कार्मिक को विशेष रूप से नामोद्दिष्ट किया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों निदेश दिए गए हैं कि वे दिन-प्रतिदिन के आधार पर मृत्यु के मामलों पर निजी तौर पर निगरानी रखें।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3996

सोमवार, 27 मार्च, 2017/6 चैत्र, 1939 (शक)

ईपीएफ कवरेज का विस्तार

3996. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दस से अधिक कामगारों वाली सभी इकाइयों के लिए भविष्य निधि की सुरक्षा अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने अतिरिक्त कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत कोई प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4035

सोमवार, 27 मार्च, 2017/ 6 चैत्र, 1939 (शक)

निजी निर्माण कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

4035. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान निजी निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिकों के हित संरक्षणार्थ ऐसी निजी निर्माण कंपनियों/निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने श्रम-कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किसी अन्य बेहतर विकल्प का प्रस्ताव किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों के द्वारा उनके संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में किया जाता है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन सामान्यत: केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र(सीआईआरएम) के रूप में नामोद्दिष्ट मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है, वहीं राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र(सीआईआरएम) विद्यमान है। मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रमायुक्तों और क्षेत्रीय श्रमायुक्तों के देश-व्यापी नेटवर्क को अधिदेशित है कि विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित परिवादों/शिकायतों का निपटान करे। विभिन्न श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र(सीआईआरएम) के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कराए जाते हैं। मंत्रालय ने भी विचारशीलता में कमी लाने और अधिक पारदर्शिता हेतु समयबद्ध रूप में श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले निरीक्षणों को अधिदेशित किया है। इसके अलावा, निरीक्षण के विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित शिकायतों के संबंध में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है।

***

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4076

सोमवार, 27 मार्च, 2017/ 6 चैत्र, 1939 (शक)

ई. पी. एफ. ओ. दावे

4076. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालयों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त दावों एवं लंबित दावों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन लंबित मामलों के समयबद्ध तरीके से शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन लंबित मामलों का कब तक समाधन किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): पिछले तीन वर्षों (2013-14 से 2015-16 तक) तथा चालू वर्ष 2016-17 (फरवरी, 2017 तक) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) में निपटान हेतु लंबित मामलों के राज्य-वार(संघ राज्य-क्षेत्र सहित) विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख): ईपीएफओ ने दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- अभिदाताओं द्वारा दावों की प्रस्तुति को सरल बनाने के दृष्टिगत पूर्वगत दावा फॉर्म सं. 19, 10ग और 31 को प्रतिस्थापित करके संयुक्त दावा फॉर्म (आधार) और संयुक्त दावा फॉर्म (गैर-आधार) आरंभ किया गया है। ईपीएफ अभिदाताओं द्वारा स्व-प्रमाणन को शामिल करके संयुक्त दावा फॉर्म को और अधिक सरल बनाया गया है।
- समग्र दावा फॉर्म(आधार) जिसमें सदस्यों की आधार संख्या और बैंक खाता संख्या जैसे विवरण उनके सार्वभौम खाता संख्या(यूएएन) में अंकित किए गए हैं और जिनके यूएएन उनके नियोजकों द्वारा सक्रिय किए जा चुके हैं, वे दावा फॉर्मों को अपने नियोजकों के प्रमाणन के बिना सीधे ईपीएफओ में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- ईपीएफओ ने दावों का निपटान 20 दिन के भीतर किए जाने का आदेश दिया है।
- दावों के निर्बाध अंतरण को सुविधाजनक बनाने हेतु ऑन लाइन दावा अंतरण पोर्टल (ओटीसीपी) प्रारम्भ किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा के माध्यम से देयों के एकत्रण हेतु नियोक्ताओं के लिए ऑन लाइन एकत्रण सुविधा विकसित की गई है।
- मासिक पेंशन भुगतानों सहित सभी भुगतानों के 99.35 प्रतिशत से अधिक भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से किए जाते हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 के पैरा 72 (7) में शामिल उपबंधों के अनुसार हर तरह से पूर्ण दावों को 20 दिन के अंदर निपटाना होता है।

औसतन रूप से कुल दावों में से 96% दावे प्राप्ति के 20 दिन के अंदर निपटा दिए जाते हैं।

- *****

अनुबंध

ई. पी. एफ. ओ. दावों के संबंध में दिनांक 27.03.2017 को डॉ. वीरेन्द्र कुमार तथा श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

निपटान हेत लंबित मामलों का राज्यवार विवरण(मामलों/दावों की संख्या)								
राज्य/कार्यालय	2016-17 (फरवरी, 2017 तक)		2015-16		2014-15		2013-14	
	कार्यभार	अंत-शेष	कार्यभार	अंत-शेष	कार्यभार	अंत-शेष	कार्यभार	अंत-शेष
आंध्र प्रदेश	332393	5025	390163	216	387545	1341	358600	5868
बिहार	80649	76	74501	412	71849	244	63847	190
छत्तीसगढ़	117599	383	135692	5440	112131	131	104714	236
दिल्ली	976884	16419	954986	6534	928814	261	1054746	10468
गोवा	67684	964	87426	1101	87962	537	88175	1008
गुजरात	787772	15422	901039	4071	954530	7317	903111	3409
हरियाणा	1029584	22494	1041986	11105	1061215	15721	1035464	11093
हिमाचल प्रदेश	95066	988	115744	99	130994	1170	126618	1467
झारखंड	50251	328	132632	146	161058	121	157228	188
कर्नाटक	661274	10913	1640358	2893	1954699	1050	1963817	34071
केरल	374197	6304	408417	7062	394961	4057	388767	10604
मध्य प्रदेश	325626	4115	334477	245	349169	4	337811	396
महाराष्ट्र	2764887	52323	3032074	44301	3061583	30199	3168941	67651
पूर्वोत्तर क्षेत्र	41772	486	74123	238	81544	380	71590	125
ओडिशा	265317	2905	277743	597	283966	135	237495	5349
पंजाब	380580	1500	472529	1790	524896	161	522759	3460
राजस्थान	328601	5137	343607	194	339447	312	338838	240
तमिलनाडू	1821666	35248	1873124	32353	2035652	29726	2013734	43358
तेलंगाना	811117	19386	872599	2164	885555	1849	859373	24129
उत्तर प्रदेश	656740	2827	665643	1712	623660	471	676191	2188
उत्तराखण्ड	173149	1632	192167	881	200499	249	199993	2648
पश्चिम बंगाल	580562	11244	577292	627	700349	276	719921	4748
महायोग	12723370	216119	14598322	124181	15332078	95712	15391733	232894

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4097

सोमवार, 27 मार्च, 2017 / 6 चैत्र, 1939 (शक)

अधिकारियों पर बोझ

4097. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रम और रोजगार मंत्रलय के अंतर्गत कार्य कर रहे अधिकारियों के बोझ को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत यथा आबंटित कार्य को संभालने के लिए मंत्रालय में पर्याप्त संख्या में अधिकारी तैनात हैं। ऐसी स्थिति में, अधिकारियों के बोझ को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4123

सोमवार, 27 मार्च, 2017/6 चैत्र,1939 (शक)

दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

4123. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

श्री जी. एम. सिद्देश्वरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने श्रमिकों को दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत पीएफ खाता सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या लाखों पीएफ खातों में कई हजारों करोड़ रुपए निष्क्रिय पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि को वास्तविक व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस दावारहित राशि को अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): भविष्य निधि खातों की सुविधा को दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के साथ सहबद्ध नहीं किया गया है। कर्मचारी यदि किसी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में नियोजित हों तो वे कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के उपबंधों एवं इसके अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के अंतर्गत सांविधिक भविष्य निधि लाभों को प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि में कोई निष्क्रिय खाता नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय राशियों को अप्रयुक्त खातों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सभी अप्रयुक्त खातों के निश्चित दावेदार हैं। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 40,865.14 करोड़ रुपये की राशि को अप्रयुक्त खातों के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अप्रयुक्त खातों से भुगतान की सुविधा देने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(i) ईपीएफओ ने 'अप्रयुक्त खाता संबंधी ऑनलाइन हेल्प डेस्क' शुरु किया है ताकि सदस्यों को अपने अप्रयुक्त खातों की पहचान करने में सहायता मिले।

(ii) इलैक्ट्रोनिक के साथ-साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से समय-समय पर सदस्यों को शिक्षित करने के लिए जागरुकता अभियान चलाए गए हैं ताकि उनकी भविष्य निधि जमा राशि का अंतरण अथवा आहरण किया जा सके।

पिछले चार वर्षों के दौरान अप्रयुक्त खातों से लाभार्थियों को भुगतान की गई कुल राशि निम्नवत है:

वर्ष	निपटान राशि (करोड़ रुपये में)
2012-13	2890.40
2013-14	4316.71
2014-15	6491.01
2015-16	5826.89

(ग): जी नहीं।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4910

(जिसका उत्तर 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया जाना है)

पेंशन के लिए इक्विटी की उच्चतम सीमा

4910. श्री जे. सी. दिवाकर रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पेंशन के लिए इक्विटी की उच्चतम सीमा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): अधिसूचना सं. 11/14/2013-पीआर तारीख 02 मार्च, 2015 के द्वारा अधिसूचित गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे पैटर्न के अनुसार, इक्विटी और संबंधित निवेश में किया गया निवेश 5% से 15% तक की श्रेणी के बीच होना चाहिए। इस निवेश पैटर्न के अनुसार, सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में विनिमय व्यापारित निधियों में कर्मचारी भविष्य निधि निवेश को बढ़ाकर 5% से 10% कर दिया है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

******

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5056

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया जाना है

[illegible]

5056. [illegible]

[illegible]

([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible];

([illegible]) [illegible];

([illegible]) [illegible]; [illegible]

([illegible]) [illegible] 31 [illegible], 2016 [illegible]?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] 01.01.1986 [illegible] 01.01.1986 [illegible]; [illegible] 01.01.1986 [illegible]:-

क्रम सं.	[illegible]	मूल मासिक अनुग्रह राशि की बढ़ी हुई राशि
1	समूह क सेवा	3,000/- रूपये
2	समूह ख सेवा	1,000/- रूपये
3	समूह ग सेवा	750/- रूपये
4	समूह घ सेवा	650/- रूपये
5	मृतक सीपीएफ लाभार्थी की विधवा और आश्रित बच्चे	645/- रूपये

बढ़ी हुई अनुग्रह राशि और महंगाई राहत के योग पर बढ़ी हुई अनुग्रह राशि और समय-समय पर अधिसूचित पांचवें वेतन आयोग की महंगाई राहत के 50% के समान महंगाई अनुग्रह उनके लिए स्वीकार्य होगा। उपर्युक्त दरों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5789

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र 1939 (शक)

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

5789. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ईएसआईसी और ईपीएफ के अंतर्गत निर्माण कामगारों को चरणबद्ध तरीके से लाभ प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): निर्माण एजेंसियों/ बिल्डरों के कार्यालयों के कर्मचारी पहले से ही कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत शामिल थे। 01.08.2015 से कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित निर्माण स्थलों के कामगारों तक ईएसआई योजना के लाभों का विस्तार किया गया है। इसी प्रकार, कर्मचारी भविष्य नीधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम 1952 दिनांक 31.10.1980 से 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले भवन अथवा निर्माण उद्योग में लगे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है।

तदनुसार, ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम के साथ साथ ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ निर्माण कामगारों को देय हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5806

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र,1939 (शक)

सार्वभौमिक खाता संख्या के साथ आधार कार्ड को जोड़ना

5806. श्रीमती किरण खेर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) डेटाबेस से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने आधार कार्ड जुड़े हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार यूएएन के साथ आधार कार्डों को पूर्ण रूप से जोड़ने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) से जुड़ी आधार संख्याओं का राज्य-वार/संघ राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) और (ग): जी, हां। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सतत चलने वाली है तथा छूटे हुए अंशदाता सहित वैसे सभी नये अंशदाता इसमें शामिल हैं जिन्हें लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उनके नियोक्ताओं के माध्यम से उनकी आधार संख्या को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के साथ जोड़ते हुए पूर्ण रुप से सहबद्ध करने पर बल दिया जाता है।

* ****

अनुबंध

श्रीमती किरण खेर द्वारा सार्वभौमिक खाता संख्या के साथ आधार कार्ड को जोड़ने संबंधी दिनांक 10.04.2017 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5806 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>आधार कार्डों के साथ सहबद्धता की स्थिति</u>

क्र.सं.	राज्य	अंशदाता सदस्य (यथा दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)	सहबद्ध आधार संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8,92,387	5,26,452
2	बिहार	2,88,521	84,833
3	छत्तीसगढ़	3,60,161	1,21,583
4	दिल्ली	24,92,295	11,90,325
5	गोवा	1,64,211	83,272
6	गुजरात(दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली सहित)	24,97,818	12,25,346
7	हरियाणा	19,12,950	8,81,225
8	हिमाचल प्रदेश	2,59,115	1,98,362
9	झारखंड	4,23,030	2,28,253
10	कर्नाटक	45,61,741	22,00,893
11	केरल	10,07,327	6,88,059
12	मध्य प्रदेश	9,03,547	5,97,018
13	महाराष्ट्र	74,99,726	31,70,270
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम सहित)	2,86,388	16,241
15	ओडिशा	6,77,821	2,34,796
16	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	9,88,937	7,06,990
17	राजस्थान	8,75,822	3,40,242
18	तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	45,27,430	13,17,319
19	तेलंगाना	24,00,146	12,65,575
20	उत्तर प्रदेश	16,44,799	8,81,087
21	उत्तराखंड	4,75,648	2,31,298
22	पश्चिम बंगाल	24,82,614	6,98,141
	कुल	3,76,22,433	1,68,87,580

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5834

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र, 1939 (शक)

चाय बागान के कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी

5834. श्री प्रेम दास राई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में मजदूरी की समानता सुनिश्चित करने के लिए चाय बागान के कामगारों हेतु न्यनूतम मजदूरी शुरू करने के संबंध में कानून बनाने पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ओवरटाइम के कदाचारों, कार्य की खराब स्थितियों, भुखमरी और चाय बागानों में मौतों के मामलों से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में चाय बागान के कामगारों को भुगतान किए गए भविष्य निधि, उपदान और बीमा जैसे श्रमिक लाभों का राज्य/राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, चाय बगान कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करना राज्य सरकार के दायरे में आता है जो न्यूनतम मजदूरी नियत/संशोधित करने के लिए समुचित सरकार है।

प्रमुख चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में मजदूरी उत्पादक एसोसिएशनों और कामगार यूनियनों के बीच हुए समझौते के अनुसार है।

देश भर में मजदूरी की दरें नियत करने के लिए एकरुप प्रणाली विकसित करना सामाजिक आर्थिक और कृषि - जलवायु स्थितियों, अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता और मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाओं में अंतरों के कारण संभव नहीं है।

(ग) से (ड.): चाय बागान कामगारों की कामकाजी दशाएं संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से बागान श्रम अधिनियम, 1951 (पीएलए) द्वारा शासित और मॉनिटर की जाती हैं जिनके लिए उनके द्वारा अलग नियम बनाए जाते हैं। उक्त अधिनियम में चाय बागानों में कार्यदशाओं और चाय बागानों में नियोजित कामगारों के लिए कल्याण उपायों के विनियमन की व्यवस्था है। यह अधिनियम इस बात में विशिष्ट है कि इसमें नियोक्ता से कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और प्रसूति प्रसुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्य रुप प्रदान करने के प्रावधान करने की अपेक्षा है। चाय बागानों कामगारों और उनके परिवारों के लाभार्थ चाय संपदाओं में कार्य स्थलों में और उनके आस-पास बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा, पेयजल, साफ-सफाई, कैंटीनों, शिशुशालाओं और मनोरंजनात्मक सुविधाओं के प्रावधान हैं।

चाय बागान कामगारों पर बागान श्रम अधिनियम के अलावा अनेक अन्य औद्योगिक एवं सामाजिक सुरक्षा विधान भी लागू हैं जिनमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, (असम के ही संबंध में - असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप संबद्ध बीमा निधि योजना अधिनियम, 1955), बोनस संदाय अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 शामिल हैं। ये अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी शासित और मॉनीटर किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5842

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र, 1939 (शक)

ईपीएफओ एप

5842. श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए एक एप विकसित कर रहा है और इसे अगले वर्ष शीघ्र शुरू करने की आशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त एप से अत्यधिक कागजी कार्य और आवेदनों पर कार्रवाई करने में लगने वाले समय के कम होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ ने अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए अत्यधिक प्रयास भी किए हैं ताकि अंशदाता ईपीएफओ में अधिकारियों से मिले बिना इसकी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग करने में सक्षम हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके दावों के ऑनलाइन निपटान की प्रक्रिया विकसित कर रहा है। यह अनुप्रयोग ऑनलाइन दावे प्राप्त करने के लिए न्यू-एज गवर्नेंस(उमंग) के लिए एकीकृत मोबाइस एप के साथ एकीकृत किया जाएगा। तथापि, इसका सूत्रपात करने की अंतिम-तिथि पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ): जी हाँ। ईपीएफओ ने अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु उन्नत कम्प्यूटिंग (सी-डैक) विकास केन्द्र, पुणे को अपने तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्यबद्ध किया है।

दिल्ली, गुरुग्राम और सिकंदराबाद में स्थित तीन डेटा केन्द्रों में सर्वरों, स्टोरेजों और नेटवर्किंग उपकरणों की नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आवश्यक हार्डवेयर संस्थापित किया गया है।

गुरुग्राम और सिकंदराबाद के डेटा केन्द्रों को रेलटेल लिमिटेड के डेटा केन्द्र के माध्यम से सह-स्थापित किया गया है। दिल्ली का डेटा केन्द्र स्वयं ईपीएफओ के स्वामित्व में है।

ईपीएफओ ने रेडहैट स्टैक पर समस्त परिचालन प्रणाली(ओएस) संस्थापित करके नवीनतम सॉफ्टवेयर का भी चुनाव किया है। डेटाबेस भी ओरेकल बनाम ओरेकल 12ग के विमोचन के संबंध में नवीनतम है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5890

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017 / 20 चैत्र, 1939 (शक)

विशेष जमा योजना में ईपीएफओ निवेश

5890. श्रीमती आर. वनरोजा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सरकार की विशेष जमा योजना से वर्ष के अन्त में अप्रत्याशित लाभ को सर्वोत्तम संभावित दर प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी दर वाले कार्पोरेट में बॉन्ड्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सदुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ को सरकार की विशेष जमा योजना से लगभग 4700 करोड़ रुपये ब्याज आय अर्जित होती है जबकि अन्य पृथक भविष्य निधियों को मिलाकर यह आय 12000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): वर्तमान में, सरकार की विशेष निक्षेप स्कीम निवेश के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सरकार की विशेष निक्षेप स्कीम में 54,518.11 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ईपीएफओ ने विभिन्न अवसरों पर शीर्ष स्तर के निगमित बॉण्डों में निवेश किया है। उन कंपनियों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), विद्युत वित्त निगम(पीएफसी), राष्ट्रीय ऊष्मीय विद्युत निगम(एनटीपीसी) तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) शामिल है।

(ग) और (घ): अन्य एकमात्र भविष्य निधियों की सरकार की विशेष निक्षेप स्कीम से होने वाली ब्याज की आय का विवरण केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के लिए सरकार की विशेष निक्षेप स्कीम से ईपीएफओ की ब्याज से आय का विवरण इस प्रकार है:

1. 2016-17: 4484 करोड़ रुपये
2. 2015-16: 4741 करोड़ रुपये
3. 2014-15: 4734 करोड़ रुपये

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5910

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017 / 20 चैत्र, 1939 (शक)

ई.पी.एफ. अस्पताल

5910. श्री पी. आर. सुन्दरम:

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में ईपीएफ अस्पतालों और औषधालयों के विकास हेतु ईपीएफ के तहत कोई निधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में इसके लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ईपीएफ अस्पतालों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) गत दो वर्षों में देश के ग्रामीण श्रम-शक्ति की चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) जी, नहीं।

(ख): ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जी, नहीं।

(घ): ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): सरकार अनन्य रुप से देश के ग्रामीण श्रमिक बल की चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए निधि का आवंटित नहीं करती। तथापि, पिछले दो वर्षों अर्थात 2015-16 और 2016-17 के संबंध में बीड़ी/चूना पत्थर एवं डोलोमाईट खान (एलएसडीएम)/लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोम खान (आईओएमसी)/अभ्रक खान/सिनेमा कामगारों की चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए आवंटित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि का ब्यौरा अनुबंध में है।

*

****

ई.पी.एफ. अस्पतालों से संबंधित श्री पी. आर. सुन्दरम और श्री पी.आर. सेनथिलनाथन द्वारा पूछे गए दिनांक 10.04.2017 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5910 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले दो वर्षों अर्थात 2015-16 और 2016-17 के संबंध में बीड़ी/चूना पत्थर एवं डोलोमाईट खान (एलएसडीएम)/लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोम खान (आईओएमसी)/अभ्रक खान/सिनेमा कामगारों की चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए आवंटित निधि

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित बजट (रु. हजार में)	
			2015-16	2016-17
1	अजमेर	राजस्थान,गुजरात, हरियाणा	88329	96836
2	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, चंडीगढ़	77649	83332
3	बंगलूरु	केरल, कर्नाकट, तमिलनाडु	173415	187212
4	भुवनेश्वर	ओडिशा	133589	133306
5	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	144448	162026
6	जबलपुर	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	194591	203061
7	कर्मा	बिहार, झारखण्ड	134601	143059
8	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, असम	107590	119791
9	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	66501	72047
कुल			1120713	1200670

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 664

सोमवार, 6 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 (शक)

ईपीएफ दायरे का विस्तार

664. श्री सी. एन. जयदेवन:
श्री वी. एलुमलाई:
श्री रामदास सी. तडस:
श्री राम चरित्र निषाद:
श्री ए. अरूणमणिदेवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के और अधिक कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार वस्त्र और परिधान कामगारों जैसे कतिपय क्षेत्रों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के अंशदान को वैकल्पिक बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे कामगारों के कल्याण के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ईपीएफ लाभों के लिए मजदूरी की सीमा में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका ईपीएफ योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के और अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में लाने के लिए 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 प्रारम्भ किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत, कोई भी नियोक्ता, चाहे पहले से शामिल हो अथवा शामिल किया जाना हो, अभियान अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारियों की घोषणा करके उन कर्मचारियों को नामांकित कर सकता है जिनका किसी कारणवश 01.04.2009 से 31.12.2016 तक नामांकन नहीं हो पाया था। ऐसी घोषणा केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में वैध होगी जो 1 जनवरी, 2017 को जीवित हों तथा ऐसे कर्मचारियों की सदस्यता की पात्रता के निर्धारण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफएण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 7क अथवा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 26ख अथवा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 8 के अंतर्गत उनके प्रतिष्ठान अथवा नियोक्ता, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई हो।

(ग) से (ङ): कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान को वैकल्पिक बनाने में, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफएण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 और उसके तहत निर्मित योजनाओं में संशोधन परिकल्पित है जिसे अभी तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु वर्तमान वेतन सीमा को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 683

सोमवार, 6 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 (शक)

निर्माण कार्य संबंधी कामगारों का कल्याण

683. श्री अर्का केशरी देव:

श्री रायापति सम्बासिवा राव:

श्री विजय कुमार हांसदाक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सभी निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिशत उपकर से जमा की गई राशि का निर्माण कार्य संबंधी कामगारों के लिए पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि एवं उक्त कामगारों के कल्याण पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु निर्माण कार्य संबंधी कामगारों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) जारी कर दिया है/जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा निर्माण-कार्य संबंधी कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 में यह उपबंध है कि निर्माण लागत पर लगने वाले उपकर एवं संग्रहण की दर केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित 2% से अधिक तथा 1 % से कम न हो। उपकर केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित निर्माण लागत के 1% की दर से लगाया एवं वसूला जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 20.12.2016 तक निर्माण लागत के 1% की दर से वसूली गई कुल संचित उपकर राशि 31694 करोड़ रुपये है जिसमें से 6866 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ग) और (घ): 17.01.2017 की स्थिति के अनुसार, कुल 50,09,413 निर्माण कामगारों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) आबंटित किया गया है।

जारी/---

सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 का अधिनियमन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के नियोजन एवं सेवा-शर्तों को विनियमित करने तथा उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया है।

संबंधित राज्यों ने राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों का गठन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यथा अधिदेशित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लाभार्थ किया है। अधिनियम की धारा 22 में निम्नलिखित लाभों का उल्लेख है:

क) दुर्घटना होने पर लाभग्राही को तत्काल सहायता प्रदान करना;
ख) वे लाभग्राही जो साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें पेंशन का भुगतान करना;
ग) घर का निर्माण करने के लिए लाभग्राही को यथा निर्धारित राशि एवं शर्तों पर ऋण और अग्रिम की संस्वीकृति प्रदान करना;
घ) लाभग्राहियों की समूह बीमा योजना के लिए किश्त का भुगतान करना जो यह उचित समझे;
ङ) बच्चों की शिक्षा के लिए यथा निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना;
च) मुख्य बीमारियों के उपचार के लिए लाभार्थी अथवा यथा निर्धारित आश्रित को चिकित्सा व्यय प्रदान करना;
छ) महिला लाभग्राहियों को प्रसूति लाभ का भुगतान करना; और
ज) यथा निर्धारित अन्य कल्याण उपायों और सुविधाओं का प्रावधान और उन्नयन करना।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4065

सोमवार, 27 मार्च, 2017/6 चैत्र, 1939 (शक)

ईएसआईसी और ईपीएफओ के लाभों का विस्तारण

4065. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री एस. आर. विजयकुमार:
कुँवर हरिवंश सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और मध्यान भोजन योजना कर्मी लंबे समय से ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ईएसआईसी और ईपीएफओ के लाभों को आंगनवाड़ी, आशा और मध्यान भोजन योजना कर्मियों को भी देने का है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं को शामिल करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (घ): मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र अर्थात आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन तथा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता(आशा) कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने के मुद्दे की जांच करने के लिए सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालीय समिति गठित की है। इस समिति के अन्य सदस्यों में महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, वित्त एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ङ): उपर्युक्त के अलावा, ईएसआईसी ने दिल्ली में ऑटो-रिक्शा चालकों तथा दिल्ली और हैदराबाद में घरेलू कामगारों के लिए दो प्रायोगिक स्कीमें भी आरंभ की हैं।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5948

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र,1939 (शक)

पीएफ के दायरे का विस्तार

5948. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दस से अधिक कामगारों वाली सभी इकाइयों के लिए भविष्य निधि सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके अन्तर्गत कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है और इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

*****